

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम रिजवान पुत्र हमीद निवासी महदेवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद, हे0 का0 अजय कुमार सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा नीलगाय के कुएँ में गिर जाने के संबंध में सूचना- पीआरवी 1483 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत सांगठ से कालर द्वारा सांगठ गाँव में कुएँ में नीलगाय के गिर जाने के संबंध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर कुएँ में गिरी नीलगाय को गाँववालों के सहयोग से सफलतापूर्वक कुएँ से बाहर निकलवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 राकेश कुमार, का0 गौरव सिंह, हो0चा0 अवधेश त्रिपाठी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 99 वाहनों से 1,07,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 20.03.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 99 वाहनों से 1,07,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान* के निकट पर्यवेक्षण में थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 77/2025 धारा 87,137(2) बीएनएस थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सरबरे आलम पुत्र हबीब थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को मेंहदावल कस्बा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा थाना दुधारा पर वादी की नाबालिग पोती को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 20.03.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, का0 अनिल यादव, का0 रामप्रवेश पासवान, म0का0 अंशु राजभर।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री पंकज कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 170/2025 धारा 109(1),115(2),190,191(2), 351(3), 352 बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 01. सत्यम पुत्र लालजी 02.अभय कुमार पुत्र शिवकुमार निवासीगण तामाखास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 20.03.2025 को नौरंगिया तिराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 27.02.2025 को विपक्षीयण उपरोक्त द्वारा वादी की हत्या करने के प्रयास के संबंध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्तगण को आज दिनांक 20.03.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, हे0का0 रामभवन गुप्ता।